

मुकदमों का विवरण

किशन चंद जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ

(2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 360) अक्टूबर 09, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]
हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:याचिकाकर्ता का आग्रह है कि राज्य सूचना आयोगों को भौतिक सुनवाई के साथ-साथ आभासी सुनवाई के विकल्प की अनुमति देनी चाहिए।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-न्याय तक पहुँच:

आयोजित किया गया:न्याय तक पहुँच संवैधानिक उद्देश्य का एक अधिकार है जो दर्शाता है कि व्यक्तियों के पास उचित कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए कानूनी संस्थानों से संपर्क करने के लिए प्रभावी साधन हैं-कानूनी संस्थानों तक पहुँचने की क्षमता व्यक्तियों को अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को समझने और प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाती है-न्याय तक पहुँच मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और इसलिए, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।[पैरा 19]

भारत का संविधान-कला।14, 21, 39 ए-न्याय तक पहुँच के लिए साधन प्रदान करने के लिए राज्य के अंगों का संवैधानिक कर्तव्य:

आयोजित किया गया:संविधान का अनुच्छेद 39 ए नागरिकों के समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता-रीडिंग आर्ट्स के अधिकारों को मान्यता देता है।14, 21, और 39 ए सामंजस्यपूर्ण रूप से, यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों को प्रभावी और प्रभावी तरीके से न्याय तक पहुँच के साधन प्रदान करना राज्य के अंगों का संवैधानिक कर्तव्य है-विशेष रूप से, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह संस्थागत प्रक्रियाओं को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर बुनियादी ढांचे के मानकों को ऊपर उठाए।[पैरा 20]

सूचना प्रौद्योगिकी-तकनीकी प्रगति-आभासी अदालतें-वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग-अदालत कक्ष की दीवारों से परे अदालत कक्ष क्षेत्र का विस्तार:

477 478

/

आयोजित किया गया:वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में हाल की तकनीकी प्रगति का उपयोग न्याय वितरण तंत्र के दायरे में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समावेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए-भौतिक न्यायालय ों में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले वादियों और पक्षों को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता होती है-यात्रा और अन्य संबंधित खर्चों की बढ़ती लागत के साथ, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भौतिक न्यायालय ों के लिए एक प्रभावी और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं-प्रौद्योगिकी एक "आभासी न्यायालय कक्ष" बनाने और उपयोग करने की अनुमति देती है जो किसी भी भौतिक न्यायालय कक्ष की तरह वास्तविक है-एक से अधिक तरीकों से, आभासी न्यायालय ें न्यायालय कक्ष की दीवारों से परे न्यायालय कक्ष क्षेत्र का विस्तार करके कानूनी प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण करती हैं।[पैरा 21]

भारत का संविधान-तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए प्रत्येक न्यायिक संस्थान का संवैधानिक कर्तव्य:

आयोजित किया गया:यह प्रत्येक न्यायिक संस्थान, चाहे वह अदालत हो, न्यायाधिकरण हो या आयोग, का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी समाधानों को अपनाए और उन्हें वादियों और बार के सदस्यों को नियमित और सुसंगत आधार पर उपलब्ध कराए-प्रौद्योगिकी का उपयोग अब एक विकल्प नहीं है-हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई आयोजित करने के उद्देश्य से उचित रूप से तैनात, प्रौद्योगिकी में नागरिकों को सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की क्षमता है।[पैरा 22]

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005**-राज्य सूचना आयोगों को सुनवाई का संकर तरीका प्रदान करने का निर्देश:

आयोजित किया गया:सूचना आयोगों तक पहुंच सूचना के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अभिन्न है, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के लिए आवश्यक है-यह निर्देश दिया गया था कि देश भर के सभी एस. आई. सी. को शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ अपीलों के लिए सभी वादियों को सुनवाई के संकर तरीके प्रदान करने चाहिए-सभी एस. आई. सी. को सुनवाई के मिश्रित तरीके का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रदान करना चाहिए जो आवेदक के विवेक पर होगा, या जैसा भी मामला हो, अपीलकर्ता-विकल्प का लाभ उठाने के लिए लिंक सूचना आयोगों की दैनिक कारण सूची में निर्धारित किए जाने चाहिए।²⁶ आर. टी. आई. अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा 479 है

किशन चंद जैन बनाम भारत संघ और ओआरएस 480

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सार्वजनिक सूचना कार्यालयों पर प्रभाव डाला गया।[पैरा 23,24]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य (2011) 15 एससीसी 1:[2011] 13 एस. सी. आर. 505; भारत संघ बनाम नमित शर्मा, (2013) 10 एस. सी. सी. 359

:[2013] 13 एससीआर 96; यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428:[1975] 3 एससीआर 333; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 पूरक एस. सी. सी. 87:[1982] एस. सी. आर. 365; दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ (1997) 4 एस. सी. सी. 307:[1997] 3 एससीआर 93;

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

बनाम बंगाल क्रिकेट संघ (1995) 2 एस. सी. सी. 161:[1995] 1 एससीआर 1036;

रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के मालिक,

बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड (1988) 4 एस. सी. सी. 592:[1988] 3 पूरक।एससीआर 212; अंजलि

भारद्वाज बनाम भारत संघ (2019) 18 एस. सी. सी. 246, किशन चंद जैन बनाम।

भारत संघ 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1021; अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सदन (2016) 8 एस. सी. सी. 509:[2016] 9 एस. सी. आर. 560; बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) 6 एस. सी. सी. 502:[2012] 5 एस. सी. आर. 305; स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) 10 एस. सी. सी. 639:[2018] 11 एस. सी. आर. 57; एम. पी. उच्च न्यायालय बार बनाम भारत संघ, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 365-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.360।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

किशन चंद जैन, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

निखिल गोयल, ए. ए. जी., वी. के. शुक्ला, सीनियर एड., अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, श्रीमती संगीता सिंह, अभय अनिल अंतुरकर, ध्रुव टैंक, अनिरुद्ध अवलगांवकर, सुश्री सुरभी कपूर, सुश्री दीपानविता प्रियंका, डॉ. मोनिका गुप्ता, संदीप जिंदल, शुभांशु पाधी, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जाँय, आलिम अनवर, सनी चौधरी, अभिमन्यु सिंह गा, सुश्री ए. दीपा, पुखरंभ रमेश कुमार, करुणा शर्मा, सुश्री राजकुमारी दिव्यासना।

[2023] 14 एस सी आर।

समीर अभ्यंकर, डी. कुमानन, श्रीमती दीपा एस, हरीश पांडे, अजय पाल, मयंक दहिया, सुश्री सुगंध राठौर, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, सुश्री श्रीजा चौधरी, डी. एल. चिदानंद, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, के. वी. गिरीश चौधरी, श्री हर्ष पीचारा, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, सुश्री पल्लवी, सुश्री कृति सिन्हा, राजीव कुमार चौधरी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., निर्निमेश दुबे, सिद्धेश शिरउत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
आदेश

1. याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग 1 के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। 2 यह कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग 3 के साथ एस. आई. सी. आर. टी. आई. अधिनियम के उचित कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, अधिकांश एस. आई. सी. राज्यों की राजधानी शहरों में स्थित हैं और भौतिक रूप से कार्यवाहियों का संचालन करते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आवेदकों और अपीलकर्ताओं, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों पर निषेधात्मक लागत लगाता है, क्योंकि उन्हें एस. आई. सी. से संपर्क करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। एस. आई. सी. के कामकाज में इस तरह की अड़चनें आवेदकों और अपीलार्थियों को सूचना के अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने से वंचित करती हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता का आग्रह है कि एस. आई. सी. को भौतिक सुनवाई के साथ-साथ आभासी सुनवाई के विकल्प की अनुमति देनी चाहिए।

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि आर. टी. आई. अधिनियम को लागू करने में संसद का विधायी इरादा आवेदकों को उचित खर्च पर जानकारी प्रदान करना है। आभासी सुनवाई इस विधायी इरादे को आगे बढ़ाती है क्योंकि वे प्रदान करते हैं

1 “एस. आई. सी. ”

2 “आर. टी. आई. अधिनियम "3" सी. आई. सी. ”.

लागत प्रभावी तरीके से एक आवेदक को जानकारी तक पहुंच। यह भी कहा गया है कि अधिकांश एस. आई. सी. के पास सी. आई. सी. के समान आर. टी. आई. अपीलों और शिकायतों की ऑनलाइन भाषा की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि एस. आई. सी. को एस. आई. सी. के कामकाज को अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल पोर्टल अपनाना चाहिए।

3. कथनों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने नीचे संक्षेप में राहत मांगी है:

(i) एस. आई. सी. को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक और आभासी सुनवाई दोनों का विकल्प देकर शिकायतों के साथ-साथ दूसरी अपीलों को सुनना चाहिए और राज्य सरकारों को आभासी सुनवाई करने के लिए एस. आई. सी. को वित्तीय और तकनीकी रूप से समर्थन देना चाहिए।

(ii) एस. आई. सी. को निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन सुविधाओं के साथ अद्यतन और स्व-निहित डिजिटल पोर्टल होने चाहिए:

(क) आर. टी. आई. शिकायतों और अपीलों के बारे में;

(बी) लंबित/तय किए गए मामलों की स्थिति दिखाना; (सी) दैनिक आदेश और निर्णय अपलोड करना;

(घ) कारण सूचियाँ अपलोड करना; और

(ङ) धारा 4 (2) के अनुरूप धारा 25 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना।

(iii) एस. आई. सी. को एक निश्चित समय सीमा के भीतर, अधिमानतः चार महीने के भीतर शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

((iv) प्रत्येक सूचना आयुक्त द्वारा प्रति कार्य दिवस निर्धारित संख्या में मामलों के निपटारे के लिए मानदंड स्थापित किए जाएं।

(v) एस. आई. सी. को 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उन्हें धारा 25 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदान करना चाहिए; और

(vi) एस. आई. सी. को धारा 20 (1) के अनुसार गलती करने वाले सूचना अधिकारियों से दंड की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

4. इन कार्यवाही में 20 अप्रैल 2021 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद, 21 अप्रैल 2023 और 10 जुलाई 2023 को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध की गई है।

[2023] 14 एस सी आर।

5. आर. टी. आई. अधिनियम को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए लागू किया गया था, जो अन्यथा केवल सरकारी अधिकारियों के पास है। यह कानून नागरिकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण अंतर्गत जानकारी तक पहुंच को सुरक्षित करने, सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और सी. आई. सी. और एस. आई. सी. का गठन करने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित करता है। इस प्रकार, आर. टी. आई. अधिनियम पारदर्शी और जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करने के वैध राज्य उद्देश्य का अनुसरण करता है।

6. उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 2 (जे) सूचना के अधिकार का अर्थ आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत सुलभ सूचना का अधिकार है जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें शामिल हैं: (i) कार्य, दस्तावेजों के अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार; (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेना; (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; और (iv) डिस्कट, फ्लॉप, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर में या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत की जाती है। धारा 2 (एच) एक सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

(ज) "लोक प्राधिकारी" से स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है -

((क) संविधान द्वारा या उस अंतर्गत ;

((ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा;

((ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

((घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है

-

i. निकाय के स्वामित्व, नियंत्रित या काफी हद तक वित्त पोषित;

ii. गैर-सरकारी संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं।

7. धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने अभिलेख को बनाए रखने और आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार की सुविधा के लिए उन्हें कम्प्यूटरीकृत

करने के लिए बाध्य करती है। धारा 5 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना 483 नामित करने के लिए अनिवार्य करती है।

किशन चंद जैन बनाम भारत संघ और ओ. आर. एस. 484

आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, कार्यालय 4 या राज्य सार्वजनिक सूचना कार्यालय 5। धारा 6 किसी भी व्यक्ति को सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ., जैसा भी मामला हो, को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के विवरण को निर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में अनुरोध करने की अनुमति देती है। धारा 7 (1) सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. को किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी के मामले में तीस दिनों और अड़तालीस घंटों के भीतर जानकारी के अनुरोध पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। इसके अलावा, धारा 7 (2) में कहा गया है कि सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय देने में विफलता को अनुरोध का अस्वीकार माना जाएगा।

8. धारा 2 (के) का अर्थ है "धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित राज्य सूचना आयोग।" धारा 15 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए एक एस. आई. सी. का गठन करेगी। एस. आई. सी. में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की इतनी संख्या होती है, जो दस से अधिक नहीं होती है, जो आवश्यक समझी जा सकती है। एस. आई. सी. का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन आ प्रबन्धन राज्यक मुख्य सूचना आयुक्तमे निहित अछि।

9. धारा 18 निम्नलिखित शब्दों में सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करती है:

"18. सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कार्य-(1)

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे, (ए) जो केंद्रीय सार्वजनिक सूचना कार्यालय या राज्य सार्वजनिक सूचना कार्यालय को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, या तो इस कारण से कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, या क्योंकि केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना कार्यालय या राज्य सहायक सार्वजनिक सूचना कार्यालय, जैसा भी मामला हो, ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना कार्यालय को भेजने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आधिकारिक या राज्य लोक सूचना कार्यालय या वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध की गई किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जानकारी या जानकारी तक पहुंच के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है; (घ) जिसे शुल्क की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित मानता है;

(ङ) जो यह मानता है कि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में।

(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट होता है कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है।

(3) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, इस धारा के अंतर्गत किसी भी मामले की जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत एक मुकदमे का मुकदमा चलाते समय सिविल मुकदमे में निहित शक्तियों के समान होंगे, अर्थात्:-

(क) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति को लागू करना और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए मजबूर करना;

(बी) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता; (सी) एफ़ी डेविट पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना;

(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना; और (च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

/

(4) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शिकायत की जांच के दौरान, किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जिस पर यह अधिनियम लागू होता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है, और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड किसी भी आधार पर उससे नहीं रोका जा सकता है। "

10. धारा 18 के अंतर्गत सी. आई. सी. या एस. आई. सी. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति पर्यवेक्षी प्रकृति की है। 6 धारा 18 (3) अंतर्गत सी. आई. सी. या एस. आई. सी. के पास वही शक्तियां हैं जो उक्त प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी न्यायालय में निहित हैं।

11. धारा 19 किसी भी व्यक्ति को, जो सूचना से इनकार करने से व्यथित है, प्रभावी निवारण और उपचार की अनुमति देकर अपीलीय प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 19 (1) किसी भी व्यक्ति को अनुमति देती है जो धारा 7 में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, वह सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. के वरिष्ठ अधिकारी को पहली अपील करने की अनुमति देता है। धारा 7 (3) किसी भी व्यक्ति को, जो सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, सी. आई. सी. या एस. आई. सी. के साथ दूसरी अपील करने की अनुमति देती है। ऐसी कार्यवाही में, यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि अनुरोध से इनकार करना उचित था, यह सीपीआईओ या एसपीआईओ पर निर्भर करता है जिन्होंने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। धारा 19 (8) में यह प्रावधान है कि सी. आई. सी. या एस. आई. सी. के पास निर्णय लेने की शक्ति है:

(क) सार्वजनिक प्राधिकरण से ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा करता है जो आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनमें शामिल हैं -

- (i) यदि अनुरोध किया जाता है, तो किसी विशेष रूप में जानकारी तक पहुंच प्रदान करें;
- ((ख) यथास्थिति, एक सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. नियुक्त करें।
- ((iv) अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संबंध में कुछ जानकारी या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करना;

6 मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य (2011) 15 एससीसी 1

/

[2023] 14 एस सी आर।

- (v) इसके कार्यालयों के लिए सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ाना;

((vi) उसे धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करें;

(ख) सार्वजनिक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा करता है;

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए दंडों में से कोई भी अधिरोपित करें; और
(घ) आवेदन को अस्वीकार करें।

12. एस. आई. सी. व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें किसी भी व्यक्ति की शिकायतों की जांच करने, अपील सुनने और जुर्माना लगाने की शक्ति शामिल है। वे सूचना के अधिकार से संबंधित मामलों और मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। भारत संघ बनाम नमित शर्मा, 7 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचना आयोगों को धारा 18, 19 और 20 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करना आवश्यक है। 13. धारा 26 (3) (बी) उपयुक्त सरकार से, यदि आवश्यक हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करने की अपेक्षा करती है, जिसमें डाक और सड़क का पता, फोन और फैक्स नंबर और, यदि उपलब्ध हो, तो धारा 5 (1) के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का सी. पी. आई. ओ. या एस. पी. आई. ओ. का इलेक्ट्रॉनिक मेल पता शामिल है।

14. नोटिस जारी करने के आदेश के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एस. आई. सी. द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है। एस. आई. सी. के संबंध में स्थिति को प्रत्युत्तर में निहित निम्नलिखित सारणीकरण में संक्षेपित किया गया है:

एस. नं.	एस. आई. सी. का नाम	क्या संकर विधि अपनाई गई है	सीए का पैरा
1	हिमाचल प्रदेश (आर-12)	हां।	/
/	कर्नाटक (आर - 14)	हां।	/
3	हरियाणा (आर- 11)	हां।	/
/	सिक्किम (आर- 25)	नहीं।	/

7 (2013) 10 एससीसी 359 487

/	पंजाब (आर-35)	हां।	/
/	अरुणाचल प्रदेश (आर-48)	कोई उल्लेख नहीं	-
7	तमिलनाडु (आर-42)	हां।	12-13
।	उत्तर प्रदेश (आर-29)	नहीं लेकिन आभासी सुनवाई के खिलाफ नहीं है	17
/	बिहार (आर-7)	हां, लेकिन हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करने का विवेक एस. आई. सी. पर छोड़ दिया जाए।	/
10	मणिपुर (आर-18)	हां।	/
/	गोवा (आर-9)	नहीं।	7 & 8
/	पश्चिम बंगाल (आर-38)	हां।	3((iv)
/	मध्य प्रदेश (आर-43)	हां।	/

15. सी. आई. सी. अपनी कार्यवाही को मिश्रित तरीके से संचालित करता है, जो आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को उनकी शिकायतों और अपीलों को आगे बढ़ाने में आसानी सुनिश्चित करता है। हालांकि, कुछ एस. आई. सी. के नेतृत्व में काउंटर एफिडेविट फाइ में न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि इस प्रथा में भिन्नता है जिसका पालन विभिन्न राज्यों में किया जाता है। 16. आर. टी. आई. अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि नागरिकों को प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। तदनुसार, यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को नागरिकों को उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करके जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कार्य करने का कर्तव्य भी देता है। 8 इस प्रक्रिया में, कानून खुली सरकार और लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है। 9 लोकतंत्र के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के लिए मतदाताओं के लिए एक जागरूक नागरिक और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। 10 इस प्रकार, सूचना का अधिकार सहभागी लोकतंत्र और जवाबदेही के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

17. सूचना का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता

/

[2023] 14 एस सी आर।

और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत अभिव्यक्ति में जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है।¹¹ सूचना के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई है।¹² संवैधानिक अधिकार के साथ इस प्रतिच्छेदन से सी. आई. सी. और एस. आई. सी. पर यह सुनिश्चित करने का बोझ और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि व्यक्तियों को आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक चिंता के मामलों पर जानकारी प्राप्त हो। अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि आर. टी. आई. अधिनियम के सुचारू रूप से काम करने के लिए सी. आई. सी. और एस. आई. सी. का अस्तित्व अनिवार्य और महत्वपूर्ण है।¹³ हाल ही में, किशन चंद जैन बनाम भारत संघ¹⁴ मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सी. आई. सी. और एस. आई. सी. का आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमुख स्थान है और उन्हें कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना चाहिए।

18. आर. टी. आई. अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के अधिकार के कथित उल्लंघन की शिकायत को उठाने के लिए नागरिकों को न्याय तक प्रभावी पहुँच प्रदान करने के लिए सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान है। आर. टी. आई. अधिनियम की योजना अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत जानकारी से इनकार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निवारण के लिए एस. आई. सी. से संपर्क कर सकता है। एस. आई. सी. एक से अधिक तरीकों से नागरिकों की शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए सशक्त प्राधिकरण हैं।

19. न्याय तक पहुँच संवैधानिक उद्देश्य का एक अधिकार है जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों के पास उचित कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए कानूनी संस्थानों से संपर्क करने के लिए प्रभावी साधन हैं। कानूनी संस्थानों तक पहुँचने की क्षमता व्यक्तियों को अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को समझने और उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाती है। न्याय तक पहुँच मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और इसलिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।^{में}

अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सदन, 15 इस न्यायालय की संविधान पीठ

अभिनिर्धारित किया कि न्याय तक पहुँच भी अनुच्छेद 14 का एक पहलू है, जो विधि के समक्ष समानता और नागरिकों और नागरिकों दोनों को विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

12 रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के मालिक, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड, (1988) 4 एस. सी. सी. 592

13 (2019) 18 एससीसी 246

14 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1021

15 (2016) 8 एससीसी 509 489

किशन चंद जैन बनाम भारत संघ और ओआरएस 490

गैर-नागरिक समान रूप से। नतीजतन, संस्थागत अपर्याप्तता के कारण अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए प्रदान की गई अदालतों या किसी अन्य न्यायिक तंत्र तक पहुंचने में किसी भी व्यक्ति की असमर्थता के परिणामस्वरूप समानता के अधिकार से इनकार करना तय है।

20. संविधान का अनुच्छेद 39 ए नागरिकों के समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकारों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 14, 21 और 39 ए को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों को प्रभावी और प्रभावी तरीके से न्याय तक पहुँच के साधन प्रदान करना राज्य के अंगों का संवैधानिक कर्तव्य है।¹⁶ विशेष रूप से, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हमारी संस्थागत प्रक्रियाओं को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर बुनियादी ढांचे के मानकों को ऊपर उठाए।

21. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में हाल की तकनीकी प्रगति का उपयोग न्याय वितरण तंत्र के दायरे में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समावेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। भौतिक न्यायालयों में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले वादियों और पक्षों को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। यात्रा की बढ़ती लागत और अन्य संबंधित खर्चों के साथ, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भौतिक अदालतों के लिए एक लागत-प्रभावी और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी हमें एक "आभासी अदालत कक्ष" बनाने और उपयोग करने की अनुमति देती है जो किसी भी भौतिक अदालत कक्ष की तरह वास्तविक है। एकतरफा से अधिक, आभासी अदालतें अदालत कक्ष की दीवारों से परे अदालत कक्ष क्षेत्र का विस्तार करके हमारी कानूनी प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण करती हैं। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, यह देखा गया कि तकनीकी समाधान अदालत कक्ष में वादियों को आभासी प्रवेश प्रदान करके न्याय तक पहुँच के अधिकार को वास्तविक बनाने का एक उपकरण हो सकते हैं।¹⁷ हालाँकि, आभासी न्यायालय कक्ष केवल वादियों को वस्तुतः न्यायालय कक्षों में प्रवेश करने की अनुमति देने तक ही सीमित नहीं हैं; वे नागरिकों को न्यायालय की कार्यवाही में प्रभावी रूप से भाग लेने की भी अनुमति देते हैं। प्रौद्योगिकी का दिव्य प्रभाव न केवल व्यक्तियों के न्याय तक पहुँचने के संवैधानिक अधिकार को आगे बढ़ाना है, बल्कि यह विधि और लोकतंत्र के शासन को भी मजबूत करता है।

22. यह प्रत्येक न्यायिक संस्थान का एक संवैधानिक कर्तव्य है, चाहे वह अदालत हो, न्यायाधिकरण हो या आयोग, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी समाधानों को अपनाना और उन्हें वादियों और सदस्यों के लिए उपलब्ध कराना।

16 बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 502 17 (2018) 10 एस. सी. सी. 639

/

[2023] 14 एस सी आर।

बार का नियमित और सुसंगत आधार पर। तकनीक का उपयोग अब कोई विकल्प नहीं है। संकर या आभासी सुनवाई आयोजित करने के उद्देश्य से उचित रूप से तैनात, प्रौद्योगिकी में नागरिकों को सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को दूर करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की क्षमता है।

23. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सूचना आयोगों तक पहुंच सूचना के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अभिन्न है, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के लिए आवश्यक है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के सभी एस. आई. सी. को शिकायतों के साथ-साथ अपीलों की सुनवाई के लिए सभी वादियों को सुनवाई के संकर तरीके प्रदान करने चाहिए। सभी एस. आई. सी. को सुनवाई के एक संकर तरीके का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रदान करना चाहिए जो आवेदक या अपीलार्थी के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो। विकल्प का लाभ उठाने के लिए लिंक देश भर के सूचना आयोगों की दैनिक कारण सूची में निर्धारित किए जाने चाहिए। यह 31 दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगा।

24. इसके अलावा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ई-फाई लिंग अदालतों तक चौबीसों घंटे पहुंच प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया में, वकीलों और वादियों की सुविधा प्रदान करता है।¹⁸ हम निर्देश देते हैं कि सभी एस. आई. सी. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों और अपीलों की ई-फाई भाषा प्रत्येक वादी को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सार्वजनिक सूचना कार्यालयों पर सेवा प्रभावी हो। इसे भी 31 दिसंबर 2023 तक लागू कर दिया जाएगा।

25. सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालय इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर केंद्रीय और राज्य लोक सूचना कार्यालयों के ईमेल पते संकलित करने के लिए कदम उठाएंगे जो सी. आई. सी. और सभी एस. आई. सी. को दिए जाएंगे।

26. इस आदेश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सभी केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की एक बैठक बुलाएंगे।

18 एम. पी. उच्च न्यायालय बार बनाम भारत संघ, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 365 491

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ

इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि। उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे।

27. आदेश के कार्यान्वयन में सभी राज्य सरकारें सहयोग करेंगी। राज्य सरकारें, जहां धन की आवश्यकता होती है, आभासी सुनवाई आयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सभी एस. आई. सी. को आवश्यक धन का प्रावधान सुनिश्चित करेंगी। सी. आई. सी. और एस. आई. सी. एस. 3 डब्ल्यू. ए. एस. प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट स्थापित करने के लिए एन. आई. सी. द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आसानी से पहुंच प्रदान करते हैं।

28. हमें उम्मीद है कि उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति के साथ, नागरिकों को न्याय और जानकारी तक पहुंच की सुविधा के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

29. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

30. यह न्यायालय एक ओर श्री किशन चंद जैन और दूसरी ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करना चाहता है।

31. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान